

गरीबी और भारत

अमल कुमार¹

“गरीबी बहुत सी आर्थिक परिस्थितियों का परिणाम है इसलिए गरीबी की समस्या को हल करने के लिए स्वयं गरीबी की संकल्पना से परे जाना होगा, यह जानना काफी नहीं कि कितने लोग गरीब हैं बल्कि यह जानना महत्वपूर्ण है कि गरीब लोग कितने गरीब हैं” यह पवित्र प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रो. अमर्त्य सेन की है।

भारत में गरीबी के अध्ययन का आरम्भ 1960 के आसपास हुआ। उस समय अनुमान लगाया गया कि यदि किसी व्यक्ति की प्रतिमाह आमदनी 20 रुपये से कम हो तो वह व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे माना जायेगा। यह स्थिति 50 साल पहले की है लेकिन आज की स्थिति कुछ और ही है, जिसका विवरण आगे हम प्रस्तुत करेंगे।

क्या है गरीबी रेखा

गरीब, गरीबी और गरीबी रेखा आय-व्यय, कैलोरी मात्रा, कुपोषण, अर्द्ध भुखमरी व भूख से मौतों जैसे मुद्दों पर सरकार योजनाकारों और जनता के बीच कई दशकों से देश में बहस चल रही है, हाल ही में गरीबी रेखा पर हुई बहस में योजनाकारों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 26 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 32 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आय से कम प्राप्त करने वालों को गरीबी रेखा के नीचे या बी.पी.एल. माना गया है। और इसे सभी वर्गों ने एकमत से नकार दिया। एक नया आधार भी माना गया है जिसमें कैलोरी को मानदण्ड बनाया गया जिसमें ग्रामिण क्षेत्र में प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में 2100 से कम उपभोग करने वाले को गरीब माना जायेगा।

सरकार ने कुछ अन्य समितियाँ भी बनाई थी वो भी कोई काम की नहीं, कभी दांडेकर समिति, कभी तेंदुलकर समिति, तो कभी अर्जुन सेन गुप्ता समिति इन सब का निष्कर्ष गवई भाषा में कहे तो ‘ढाक के तीन पात’ सबसे विरोधाभाष और भिन्नता नजर आयी। ये लोग सिर्फ यह बताना चाहते हैं कि गरीबी क्या है? और गरीब कौन है? अगर सरकार के प्रतिनिधि भारत के गावों में भ्रमण करे तो उन्हें गरीबी पता लग जाये, वो किसी झोपड़ी के अन्दर टूटी हुई खाट पर सोये हुये बिमार आदमी से पुछें तो गरीबी पता लग जाये उनके खाने का व्यंजन नमक-भात देखे तो सब पता लग जायेगा। किसी मंत्री का किसी जिले में भ्रमण और फिर एक आलिशान ग्रेस्ट हाउस में ठहरना फिर दो-तीन दिनों में कुछ कमप्यूटर डाटा और कुछ कागजी लेख लेकर लौट जाना इससे गरीबी को नहीं जाना जा सकता।

सरकार के गरीबी के मानक में कभी आय तो कभी कैलोरी के जंजाल में फसे गरीब कभी कुपोषण से कभी भुखमरी से तो कभी बेरोजगारी से मौत के शिकार हो रहे हैं तथा अपनी दो जून की रोटी के लिए साल-दर-साल विस्थापन और पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। जब किसी को रूखी-सूखी रोटी भी नसीब नहीं होती है तो वह कैलोरीयुक्त भोजन कैसे खायेगा यह तथ्य विलकुल हास्यास्पद है।

¹ शोधछात्र (UGC-NET), समाजशास्त्र विभाग बी0एच0यू0, वाराणसी

प्रो. अमर्त्य सेन ने कहा है कि भारत में गरीबी का सम्बन्ध केवल आय या कैलोरी से जोड़कर करना सही नहीं होगा, बल्कि हमें यह देखना चाहिए कि लोगों की विमारियों से कहीं तक रक्षा हो पाई है, उनके लिए रोटी, कपड़ा, मकान, व शिक्षा आदि की व्यवस्था कैसी है? गरीबों को केवल सस्ती शिक्षा, सस्ता अनाज, सस्ती दवाईयाँ देने मात्र से उनकी गरीबी दूर नहीं होगी जिस प्रकार हम गरीबी रेखा के बारे में विचार करते हैं उसी प्रकार हम अमीरी रेखा के निर्धारण पर सोचना होगा। गरीबों के जीवन-स्तर को जिंदा रहने लायक स्तर से उपर उठाना होगा, उन्हें केवल जीवन रेखा पार कराना ठीक वैसा ही होगा जैसे गहरे पानी में डुबे हुए व्यक्ति को किनारे पर लाकर पटक देना। उसे उस स्थिति के बाद भी अच्छे जीवन जीने के लिए कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकता महसूस होती है जो समय-समय पर उपलब्ध हो सके।

गरीबी का बहुत बड़ा कारण बेलगाम अमीरी भी है। गरीबी की निरपेक्ष माप करते हुए सर्वप्रथम 1960-61 में उन लोगों को निर्धन तथा गरीबी की श्रेणी में रखा गया जो न्यूनतम कैलोरी प्राप्त करने हेतु आवश्यक आय जुटाने में असमर्थ थे। 1960-61 में 20 रुपये से कम मासिक आय से निर्वाह क्षमता वाले लोगों को गरीबी की रेखा के नीचे रखा गया 1968-69 में यह राशि 40 रुपये, 1973-74 में 49.1 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में तथा 56.6 शहरी क्षेत्रों में 1976-77 में प्रचलित कीमतों पर ग्रामिण क्षेत्रों में 61.5 तथा शहरी क्षेत्रों में 71.3 रुपये 1979-80 में ग्रामिण क्षेत्र में 76 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 88 रुपये, 1983-84 की किमतों पर ग्रामीण क्षेत्रों में 101 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 117.5 रुपये तथा 1991-92 में की किमतों पर ग्रामीण क्षेत्रों में 181.5 तथा शहरी क्षेत्रों में 209.5 रुपये निर्धारित की गई।

अभी कुछ महिनो पहले योजना आयोग ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि देश में 40 करोड़ 74 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। जिसका माप शहरी क्षेत्रों में प्रतिमाह प्रतिव्यक्ति 965 रुपये तथा प्रतिदिन 32 रुपये और ग्रामिण क्षेत्रों में 781 रुपये प्रतिमाह और 26 रुपये प्रतिदिन मापी गई है। भारत में अनेक प्रकार के सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाये गये हैं। जो कुछ हद तक गरीबों को लाभ मिला है। लेकिन पूरा लाभ कभी गरीबों तक नहीं पहुच पाता है, कुछ कार्यक्रमों के नाम निम्नलिखित हैं:

- ग्रामिण स्वास्थ्य मिशन — 2005
- अत्योदय अन्य योजना — 2000
- वाल्मीकी-अम्बेडकर आवास योजना — 2001
- जननी सुरक्षा योजना — 2005
- इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंसन योजना — 2009
- मनरेगा, खाद्य सुरक्षा, आवास गारन्टी आदि

और तमाम प्रकार के योजनाओं का निर्माण किया गया जिसका वर्णन यहाँ सम्भव नहीं है। लेकिन मुख्य बात यह कि इन सब के बाद भी गरीब गरीब ही रह गये और अमीर अमीर हो गये। देश में बढ़ती गरीबी को देखकर इसके निराकरण हेतु निम्न लिखित सुझावों को अमल में लाना चाहिए—

ग्रामिण अर्थव्यवस्था को पशुपालन, वानिकी व सहायक उद्योगों को बढ़ावा दिया जाये। पशु पालन से तात्पर्य ग्रामिण गरीबों को गाय-भैस, मुर्गी-फार्म, सुअर आदि

आर्थिक लाभ प्रदान करने वाले जानवरो को सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रदान करना चाहिए, सहायक उद्योगो से हमारा तात्पर्य है कि गावों में कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा मिले जिसमे सौर-उर्जा, पवन उर्जा, जल विद्युत, समुद्री मीथेन गैस, थर्मो इलेक्ट्रीसीटी आदि कुछ ऐसे उद्योग है जिसके प्रयोग से भारत की गरीबी को हटाया जा सकता है। और इन सभी वस्तुओ की भारत में कोई कमी नहीं है।

गरीबों के लिए पर्याप्त भूमि, जल, शिक्षा, स्वास्थ्य, ईंधन व परिवहन जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जाये।

सरकार को गरीबो के कल्याण के लिए आर्थिक नीतियाँ बनाई जाए तथा अमीरों और पूँजीवाद को बढ़ावा देने वाली नीतियो में बदलाव लाया जाए, ताकि गरीबी और अमीरी के बिच की खाई को पाटा जा सके और हमे गरीबी के कलंक से छुटकारा मिल सके।

सन्दर्भ—ग्रन्थ

- 'Poverty and femines' - Amart sen
- Planning for poverty alleviation – kamta Prasad
- Facts of Indian poverty - K.L. Datta
- जनसंख्या और गरीबी – नैनिहाल सिंह
- योजना, जुलाई – 2008